

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, 14-आर्जिक मार्ग, लखनऊ

सं० 2340-अस-17/पाकालि/2000-11.6.98/86

दिनांक 11 अगस्त 2000

कार्यालय ज्ञाप

स्वेच्छा से राज्य के बाहर हृदय की बाइपास सर्जरी, पेसमेकर लगवाना, गुदा प्रत्यारोपण, हृदय या मोस्तिष्क की वृद्ध शल्य क्रिया आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यालय ज्ञाप सं० 4102-अस-17/राविप्र/98-11.6.98/86 दिनांक 11.6.98 द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप में इंगित शर्तों के प्रतिबन्धाधीन अनुमन्य की गयी थीं। उक्त कार्यालय ज्ञाप में एतद्वारा निर्गतकी तिथि 11.6.98 से केंसर व्याधि को सम्मिलित किया जाता है।

निदेशक कार्मिक एवं प्रबन्धन

सं० 2340-1-अस-17/पाकालि/2000 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० ऊर्जा मंत्री / मा० ऊर्जा राज्य मन्त्री, उ० प्र० शासन के निजी सचिवको।
2. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
3. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
5. मुख्य अभियन्ता जल विद्युत/अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
6. अनुसचिव, विस्त एवं कार्मिक नीति उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ
8. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध।

आज्ञा से,

राजेंद्र प्रकाश मिश्र
कार्मिक अधिकारी.